रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2011/वैशाख 15, 1933
No. 813] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2011/VAISAKHA 15, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2011

का.आ. 1002(अ).–केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 78(अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के 0.0 कि.मी. से 592.0 कि.मी. (बेंगलौर से कर्नाटक /महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 75.000 कि.मी. से 189.000 कि.मी. (टुम्कुर - चित्रदुर्गा सेक्शन, टुम्कुर और चित्रदुर्गा बाईपास को छोड़कर) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है) तक के विद्यमान चार लेन वाले सेक्शन को 6 लेन का बनाने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स आई आर बी टुम्कुर चित्रदुर्गा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आई आर बी काम्पलेक्स, चंदावली फार्म, चंदावली गांव अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400072 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1113 (अ), तारीख 5 जुलाई 2007 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1182 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 को, उन बातों के

सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए, फीस, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक, उक्त फीस को संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात् :--

सारणी

क्रम संख्यांक	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :--

1. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	**पथकर - प्लाजा का अवस्थान**	**लम्बाई (कि.मी. में)जिसके लिए फीस संदेय है**
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर 172.770 कि.मी.	57.00
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर 104.530 कि.मी.	57.00

2. फीस के पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छह मास की अवधि का अवसान न होने तक फीस का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/581/10-11/सी.ओ./जीसी चित्रदुर्गा (75.0-189.0) बी.ओ.टी]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2011

S.O. 1002(E).— Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.0 - Km 592.0 (Bangalore to Karnataka/ Maharashtra border section) of National Highway No. 4 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s IRB Tumkur Chitradurga Tollway Private Limited, having its registered office at IRB Complex, Chandivali Farm, Chandivali Village Andheri (East) Mumbai-400072 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing four lane section from Km 75.000 to Km 189.000 (Tumkur – Chitradurga section excluding Tumkur and Chitradurga bypass) of the National Highway No. 4 in the State of Karnataka (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1113 (E), dated the 5th July, 2007 and number S.O. 1182 (E), dated the 18th July, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on the type of mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table, for the use of said section, at the base rate specified in column (3) thereof, and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or the publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

Table

Sl. No.	Type of vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08 (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck.	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles).	3.45
5	Oversized Vehicles (seven or more axles).	4.20

Notes:-

1. The fee shall be collected at the following location of toll plazas for the distance specified against each Toll Plaza:--

S. No.	Location of toll plaza.	Length (in km) for which fee payable.
1	Km172.770 of National Highway No. 4	57.00
2	Km104.530 of National Highway No. 4	57.00

2. The revision of fee shall not be effective until a period of six months has elapsed from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/581/10-11/CO/GC Chitradurga (75.0-189.0) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.